अग्निशमन केंद्रों की स्थापना की अड़चन जल्द होगी दूर

अमर उजाला ब्यूरो

नए स्थान पर जमीन चिह्नित करने व मानक को शिथिल करने का प्रस्ताव

गोरखपुर और 52 तहसीलों में मानक के हिसाब से जमीन नहीं मिलने से आ रही मुश्किल

लखनऊ। प्रदेश सरकार अग्निकांड से जनहानि व धनहानि को न्यूनतम करने के लिए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना की अड़चन दूर करने जा रही है। इसके लिए केंद्रों की स्थापना के तय मानक को शिथिल करने का भी प्रस्ताव है। इस संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

दरअसल, प्रदेश सरकार सभी तहसीलों व अन्य जरूरी स्थानों पर अग्निशमन केंद्रों की स्थापना की रणनीति पर काम कर रही है। 2016 में अग्निशमन केंद्रों की स्थापना के लिए मानक तय किए गए थे। इसमें दो यूनिट के एक अग्निशमन केंद्र के लिए 4148 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता तय की गई थी। लेकिन प्रदेश में करीब 52 तहसीलें ऐसी हैं जहां निर्धारित मानक के अनुसार भूमि नहीं मिल पा रही है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर व औद्योगिक क्षेत्र में अग्निशमन सुरक्षा के लिए दो यूनिट के फायर स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है। इस केंद्र के लिए प्रस्तावित स्थान पर केवल 1670 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध है। ऐसे में तमाम स्थानों पर अग्निशमन केंद्रों की स्थापना नहीं हो पा रही है।

शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया जिन-जिन स्थानों पर अग्निशमन केंद्र के लिए पर्याप्त भूमि नहीं मिल रही है, पहले तो वहां नए स्थान पर भूमि की तलाश होगी। साथ ही तय मानक से कम भूमि में भी केंद्र की स्थापना के मॉडल पर विचार हो रहा है। 2000 से 2200 वर्गमीटर भूखंड में केंद्र स्थापना के कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इसके लिए मानक को शिथिल करना होगा। शासन ने गोरखपुर के मामले में उपलब्ध भूमि के हिसाब से अग्निशमन केंद्र का नया लेआउट व मानचित्र बनवाकर प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग तथा व्यय वित्त समिति से अनुमोदन लेने के लिए कहा है। इसके बाद कैबिनेट से केंद्र स्थापना के मानक को शिथिल करने की अनुमति ली जाएगी।

भवनों के लिए अग्निशमन एनओसी मिलना होगा आसान

सरकार 15 मीटर से कम ऊंचाई के भवनों के लिए अग्निशमन एनओसी लेने की प्रक्रिया तथा एनओसी के प्रारूप का सरलीकरण करने जा रही है। इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग से विचार-विमर्श जारी है। इससे औद्योगिक व व्यावसायिक इकाइयों का संचालन करने वालों को काफी राहत मिलेगी।

मंडल स्तर पर कर्मियों को प्रशिक्षण देने की तैयारी

प्रदेश सरकार ने अग्निशमन कर्मियों को तय समय सीमा में प्रशिक्षित करने का फैसला किया है। कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए उन्नाव में अग्निशमन महाविद्यालय स्थापित है। लेकिन यहां एक साथ सिर्फ 200 कर्मियों को ही प्रशिक्षण दिया जा सकता है। वहीं, यूपी पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड से 2200 अग्निशमन कर्मियों का चयन किया जा रहा है। चयन के बाद इनके प्रशिक्षण की भी जरूरत होगी। इसे देखते हुए शासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंडल मुख्यालय पर भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करें जिससे कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिए इंतजार न करना पड़े।